न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 01/2018

श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. सुशील कुमार सिंघल पुत्र श्री केशवदेव सिंघल जाति वैश्य एफबीओ व मालिक फर्म अग्रवाल एजेन्सीज बुद्ध की हाट अटलबन्द रोड भरतपुर निवासी बी–नारायण गेट, एस0बी0आई0 बैंक के सामने भरतपुर।
2. मनोज कुमार जैन पुत्र श्री धरमचन्द जैन जाति जैन एफबीओ व मालिक फर्म एन. सी. ऑयल प्रोडक्टस, डीग रोड, कुम्हेर जिला भरतपुर निवासी जैन मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011

उपस्थिति :

1. गैरसायल स्वयं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांक : 16.3.2018**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी अनुपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 4.10.2017 को 01.00 पीएम पर गैरसायल की फर्म अग्रवाल ऐजेन्सीज बुद्ध की हाट अटलबन्द भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु खाद्य वस्तु सरसों तेल (सोनपरी गोल्ड) 15 किलो पैक के एक ही बैच के 23 टीन रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–923/एक्ट/2017/944 दिनांक 17.10.2017 द्वारा उक्त सरसों तेल (सोनपरी गोल्ड) का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर के सरसों तेल (सोनपरी गोल्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ा) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि उसके द्वारा गहन जांच एवं परीक्षण के उपरान्त ही अपनी फर्म से सरसों का तेल (सोनपरी गोल्ड) विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा वक्त निरीक्षण पाये गये सरसों का तेल (सोनपरी गोल्ड) में कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल का यह भी कथन है कि उसके द्वारा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्त कर लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए सरसों के तेल का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म से आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु सरसों का तेल (सोनपरी गोल्ड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–923/एक्ट/2017/944 दिनांक 17.10.2017 द्वारा उक्त सरसों तेल (सोनपरी गोल्ड) का नमूना अवमानक स्तर (Sub standard) का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायलान के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक सरसों तेल विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायल संख्या 1 सुशील कुमार को 3000/– रूपये एवं गैर सायल संख्या 2 मनोज कुमार को 10,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000048 दिनांक 16.3.2018 एवं 000049 दिनांक 16.3.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2018 को सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर